



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो०ओ०—माजरा, देहरादून,
फोन— 0135-2641115 फैक्स— 2641314, Website www.uerc.gov.in, E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयोग द्वारा निर्गत प्रारूप उविनिआ (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 [Draft UERC (Appointment & Functioning of Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2016] पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं धारा 42 की उपधारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्गत प्रारूप उविनिआ (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 [Draft UERC (Appointment & Functioning of Ombudsman (Fourth Amendment) Regulations, 2016] जारी किया गया है। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

- उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 05.10.2016 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।